

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 181 / 2014

दायर दिनांक 10.11.2014

कस्तुरचन्द	उनवान	सोहन
	बनाम	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 14.09.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी ने हाजिर होकर पत्रावली में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत आदेशिका पर नोट प्रैस अंकित किया। पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

